न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 235/17–18

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

चामु भेंगरा वो राली भेंगरा – विक्रेता

हेलेना भेंगरा – क्रेता

वाद की क्रम संख्या और तारीख	
25.06.18	**आदेश**

आवेदक/आवेदिका 1. चामु भेंगरा वो 2. राली भेंगरा दोनों के पिता स्व0 पुसा भेंगरा दोनों ग्राम डोड़मा करमु टोली, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने हेलेना भेंगरा पति आनन्द मसीह तोपनो ग्राम कोंकेया, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के वि क्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड में)
डोड़मा	10	54	928	0.22

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं0 992825 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 44(II) दिनांक 19.06.2018 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम चामु महतो वगैरह है। पंजी II के अनुसार चामु महतो वगैरह के नाम भूमि का रकवा 25.39 एकड़ है। आवेदक के पास रकवा 8.55 एकड़ है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015–2016 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 2321.00(दो हजार तीन सौ एक्कीस)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के वि क्र य में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि वि क्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकवा 8.33 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रे ता एवं वि क्रे ता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एंव एक ही समुदाय (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु वि क्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने आवेदक क्रे ता–वि क्रे ता को भूमि क्र य–वि क्र य करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, तोरपा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण 1. चामु भेंगरा वो 2. राली भेंगरा दोनों के पिता स्व0 पुसा भेंगरा को हेलेना भेंगरा पति आनन्द मसीह तोपनो के साथ ग्राम डोड़मा के खाता सं0 54 खेसरा संख्या 928 का रकबा 0.22 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 2321.00(दो हजार तीन सौ एक्कीस)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि वि क्र य की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

25.6.18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

25.6.18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।